

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./स्वच्छता/छ:/2020/193

टेंडर नं. 68810

कोरबा दिनांक 02.11.2020


ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा लोक निर्माण विभाग एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा उचित वर्ग में पंजीकृत सफाई कार्य में अनुभवी ठेकेदारों से ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र. 54,58,59 सर्वमंगला नगर, इमलीछापर क्षेत्र की सफाई कार्य	31.83	23900/-	12 माह	वर्ग डी एवं प्रवर श्रेणी	26.11.2020 से



शर्त :-

1. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदार फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, प्राक्कलन राशि के लगभग सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र, धरोहर राशि ऑनलाईन सबमिशन के माध्यम से करना होगा तथा स्केन कॉपी ऑन लाईन सिस्टम में अपलोड करना होगा साथ ही कार्य में लगे श्रमिकों का ई.एस.आई.सी. एवं पी.एफ. में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। वाहन का स्वामित्व प्रोपाइटर/फर्म के नाम पर होना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र अहस्तांतणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा अर्थात निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
5. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।
6. विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर कोरबा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।
7. बिना बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का रहेगा।


स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)

Date-Time Detail(s)


Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		02.11.20	15.30	02.11.20	15.30	Release Tender
2		Bid Submission	02.11.20	15.30	25.11.20	17.30	
3	Tender Open		26.11.20	10.30	--	--	


**HEALTH OFFICER
KORBA (CG)**
For, Commissioner Korba (C.G.)


कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./स्व./छ:/2020

कोरबा दिनांक.....




नियम एवं शर्तें :-

1. ठेकेदार का कार्य क्षेत्र :-.....
2. ठेकेदार को सफाई उपकरण जैसे - रिक्शा, हाथ ठेला, झोडी, रापा,तगाडी, बेलचा, सुरक्षा उपकरण, एम.एस.राड आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को अन्य सुरक्षा सामग्री जैसे गम बूट,दस्ताने, मास्क आदि उपलब्ध कराना होगा।
3. सफाई कार्य में लगे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन कलेक्टर द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दर पर करना होगा। श्रमिकों के समस्त भत्ते,मेडिकल,अवकाश एवं सम्पूर्ण जवाबदारी श्रम कानून के अंतर्गत निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र में कचरे के एकत्रीकरण एवं समापन हेतु वाहन (ट्रेक्टर मय ट्राली, ट्रक चार चक्का वाहन,मेटाडोर, टाटा एस)नग, हाथ ठेलानग, रिक्शा.....नग, रखना अनिवार्य होगा। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए वाहनों,हाथ ठेला,ट्राई साइकिल की संख्या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार बढ़ाई जाएगी। निर्धारित संख्या में रिक्शा, हॉथ ठेला ठेकेदार द्वारा नहीं लगाने की स्थिति में उपलब्ध होने पर निगम द्वारा रिक्शा व हॉथ ठेला प्रदाय किया जावेगा इस दशा में रिक्शा व हॉथ ठेला की खरीदी लागत ठेकेदार के देयक से 12 किश्तों में एक वर्ष के अंदर कटौती की जावेगी।
5. ठेकेदार को अपने कार्य क्षेत्र से निकलने वाले सम्पूर्ण कचरे को प्रतिदिन अपने वाहन से परिवहन कर चयनित स्थल में करना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर निगम द्वारा विभागीय वाहन से अपशिष्ट समापन किया जायेगा इस दशा में ठेकेदार से दण्ड स्वरूप परिवहन पर होने वाले व्यय की दुगुनी राशि देयक से काटी जायेगी साथ साथ उस दिन किये गये सफाई कार्य का भुगतान भी नहीं किया जावेगा। ठेकेदार को अपशिष्ट का परिवहन करते समय प्लास्टिक, तिरपाल, आदि से ढक्कर परिवहन करना अनिवार्य होगा।
6. सफाई कार्य के शिकायतों का निराकरण तत्काल संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कराना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार को शासकीय मानक के अनुरूप श्रमिकों की भुगतान पंजी का संधारण,लेबर,लाइसेंस,ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन तथा पी.एफ.नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. ठेकेदार को सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टैंड, व्यवसायिक परिसर एवं सांस्कृतिक भवन हेतु प्रभारी के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन तथा सफाई निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
9. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
10. अवकाश के दिन भी आवश्यकता होने पर सफाई कार्य संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार करना अनिवार्य होगा।
11. घर से निकलने वाले घरेलु कचरे का एकत्रीकरण (डोर टू डोर कलेक्शन) प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा इसके साथ ही साथ सड़क पर फैली हुई प्लास्टिक पन्नी एकत्र करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थदण्ड के साथ-साथ उस कार्य दिवस के सफाई कार्य का भुगतान भी नहीं किया जावेगा।
12. यदि सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई कार्य निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं किया जाता है तो न्यूनतम प्रतिदिन रु. 10000/- का तथा अधिकतम आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निर्धारित कर अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा।

13. ठेकेदार/प्रतिनिधि का कार्य स्थल पर कार्य अवधि में रहना अनिवार्य होगा ठेकेदार/प्रतिनिधि के मोबाईल नम्बर प्रभारी अधिकारी के पास उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। सफाई कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारियों को परिचय पत्र प्रदान करना अनिवार्य होगा।
14. अधिकारियों के निर्देशानुसार फिनाईल, कीटनाशक दवाओं का छिडकाव कराना आवश्यक होगा। कीटनाशक दवा, फिनाईल आदि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।
15. सीवर लाईन सफाई के पूर्व एवं बाद में चेम्बर कव्हर को व्यवस्थित करना/खोलना/बंद करना अनिवार्य होगा।
16. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व क्षेत्र में साइट आफिस खोलना अनिवार्य होगा जिसकी लिखित जानकारी प्रभारी अधिकारी को देना होगा।
17. कचरे के समापन के लिए उपयोग में लाये जाने वाले निर्धारित संख्या में वाहन जिसकी जानकारी निविदा में दी गई है। साइट पर कार्यरत रखना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से मृत, लावारिस जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि का शिकायत प्राप्त होने पर उठाना अनिवार्य होगा जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
19. सफाई कर्मचारी को अपने कार्य पर वर्दी में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा सफाई कामगारों को वर्दी एवं सुरक्षा उपकरण उपलब्ध न कराने की दशा में निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा जिसकी दुगुनी कीमत ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी।
20. सफाई कार्य का सत्यापन नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक, वरि. स्वच्छता निरीक्षक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा एवं सफाई,सफाई सामग्री उपलब्धता एवं सफाई कार्य गुणवत्ता पर टीप लिखी जावेगी, जिसके आधार पर देयक का भुगतान किया जावेगा।
21. अनुबंधकर्ता को छत्तीसगढ में प्रचलित लेबर एक्ट की धाराओं एवं ई.एस.आई./कर्मचारी भविष्य निधि नियमों का पालन करना होगा एवं उसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा।
22. सफाई कार्य के लिए अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए रखी जाती है परंतु निगम द्वारा कभी भी एक माह का नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंधित अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक सप्ताह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
23. नगर निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर निगम आयुक्त/महापौर का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
24. ठेकेदार को आबंटित क्षेत्र की सफाई संबंधी 1100 की शिकायत का निराकरण त्वरित करना होगा प्राप्त शिकायतों की पंजी संधारित करना होगा एवं संबंधित से जानकारी लिया जाकर सूचित किया जाना भी ठेकेदार का ही दायित्व होगा तथा संबंधित ठेकेदार एवं सुपरवाइजर को मोबाइल में वाट्सअप चालू रखना अनिवार्य होगा एवं वाट्सअप के माध्यम से की गई शिकायत का निराकरण 24 घंटे के अंदर करना होगा तथा शिकायत निराकरण पंजी प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
25. अनुबंधकर्ता अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा यदि अनुबंध के बीच के अवधि में कार्य छोड़ा गया तो नये ठेके से जो हानि नगर निगम को होगी उसकी क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी और उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी एवं आगामी तीन वर्ष तक निगम के अन्य किसी भी कार्य से वंचित माना जावेगा।
26. अनुबंधकर्ता के द्वारा सफाई कार्य पर रखे गये सफाई कर्मचारी अनुबंधकर्ता के कर्मचारी होंगे तथा वे इस आधार पर कि उन्होंने नगर निगम कोरबा में सफाई कार्य किया है भविष्य में कभी निगम के सेवा में रखे जाने के अधिकारी नहीं होंगे।

27. हडताल किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी। हडताल करने पर कार्यादेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा अमानत राशि राजसात कर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
28. आपात परिस्थितियों में नगर निगम द्वारा आवश्यकता पडने पर सफाई कार्य मे लगे कर्मचारियों की सेवाएं सफाई संबंधी अन्य कार्य में लेने का अधिकार नगर निगम प्रशासन का होगा।
29. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत घर-घर अपशिष्ट का पृथक-पृथक एकत्रीकरण हेतु निगम द्वारा निर्धारित किये गये वाहन (बैटरी चलित आटो रिक्शा) से निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करना होगा।
30. सफाई कार्य (सड़क सफाई, नाली सफाई) अपशिष्ट का एकत्रीकरण संग्रहण पृथककरण एवं परिवहन कार्य निर्धारित नियमों, मापदण्ड के अनुसार न होने की स्थिति मे एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात् कार्य को समाप्त किया जा सकेगा।
31. सफाई कार्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में निगम कोरबा द्वारा कार्ययोजना मे समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है परिवर्तित नियमों का पालन निविदाकार (टेकेदार) को करना अनिवार्य होगा यदि निगम चाहेगा तब अपशिष्ट प्रबंधन डोर टू डोर (एकत्रीकरण) हेतु अन्य संस्था को कार्य दे सकेगी।
32. यदि आवश्यक होगा तो अपशिष्ट एकत्रीकरण, संग्रहण, पृथककरण एवं परिवहन कार्य हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम के निर्देशानुसार प्रयुक्त वाहन के डिजाइन एवं वाहन के प्रकार में परिवर्तन किया जा सकेगा।
33. कार्य करने की अवधि 08 घंटे (लंच अवधि को मिलाकर) होगी। 07 घंटे के कम कार्य करने पर आधा अवधि का कार्य माना जावेगा एवं 04 घंटे के कम कार्य करने पर कार्यावधि शून्य माना जावेगा।
34. सफाई कार्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन कार्य 01 माह की नोटिस देने के पश्चात् अनुबंध की अवधि के पूर्व समाप्त किया जा सकेगा।
35. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
36. स्वयं के व्यय पर ठेका क्षेत्र अंतर्गत समस्त वार्डों में सहज दृश्य स्थान पर स्वयं व सफाई निरीक्षकों के Whatsapp/Mobile नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
37. समय-समय पर शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के पालन की अनिवार्यता होगी।
38. उपरोक्त कार्य शर्त क्र. 01 से 37 तक के शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा को होगा एवं ठेका निरस्त की स्थिति में निगम को होने वाली किसी प्रकार की आर्थिक हानि के लिए टेकेदार उत्तरदायी होगा।


 स्वास्थ्य अधिकारी,
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)

आयुक्त
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF MUNICIPAL CORPORATION , KORBA (C.G.)

ABSTRACT

SWEEPING AND CLEANING WORK AT WARD -54,58,59 SARWAMANGLA NAGAR, VIKASH NAGAR
IMLICHHAPAR KUSMUNDA KORBA.

No.	Quantity	Item of work	Unit	Rate	Amount	Remarks
1.	13747.00 R.m	संबंधित क्षेत्र की सम्पूर्ण सड़क सफाई करवाना एवं सफाई कार्य से निकला हुआ कचरा घास पूस एवं प्लास्टिक इत्यादि को एकत्रित करते हुए निर्धारित स्थल तक परिवहन करना यह कार्य सप्ताह में 06 दिवस करना होगा।	Rm			
2.	11840.0 R.m	उक्त क्षेत्र की सम्पूर्ण नाली की सफाई का कार्य एवं नाली से निकला हुआ कचड़े को हाथ ठेला/रिक्सा द्वारा चयनित स्थल पर एकत्रित करना यह कार्य सप्ताह में 03 दिवस करना होगा।	Rm			
		आयटम नं.-01 से 02 तक की सम्पूर्ण वार्ड की सफाई कार्य। कुल श्रमिक संख्या- 17	1 Job			
	1500.0 M ³	आईटम क्रमांक-01 से 2.....तक संबंधित क्षेत्र में सड़क झाड़ू नाली सफाई से उत्सर्जित अपशिष्ट को एकत्र कर पृथक-पृथक (गीला-सूखा) स्वयं के वाहन (ट्रैक्टर ट्राली, डम्पर, ट्रक आदि में लोड कर निर्धारित स्थल बरवसपुर एल.आर.एम.सेन्टर में परिवहन कर तथा वहाँ गीला कचरा कम्पोस्ट पिट में डालना तथा सूखे कचरे के अवयवों को उसी दिन पृथक-पृथक करना तथा पृथक किये गया अपशिष्ट के अवयवों (प्लास्टिक, गत्ता, लोहा, काँच इत्यादि) को प्रतिदिन प्रसंस्करण/पुर्न चक्रिकरण का कार्य किया जायेगा।				

वार्ड-5



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED STATEMENT FORM

वार्ड क्रमांक 54,58,59 सर्वमंगला नगर,विकास नगर,ईमलीछापर कुसमुण्डा की सफाई व्यवस्था कार्य।

No	Particular of item	No Length	Breadth	Depth of Height	Content	Remarks
1.	सर्वमंगला नगर वार्ड क / 54 सड़क सफाई कार्य	525.00	Rm			मेन रोड प्लॉट न 526 से दुकानों के सामने
500.00		Rm				मेन रोड क 526 से आजाद नगर तक
70.00		Rm				प्लॉट न 525 से 533 तक
65.00		Rm				प्लॉट न 515 से 523 तक
55.00		Rm				प्लॉट न 505 से 513 तक
100.00		Rm				प्लॉट न 432 से 433 तक
315.00		Rm				प्लॉट न 445 से 335 तक
260.00		Rm				प्लॉट न 457 से 365 तक
210.00		Rm				प्लॉट न 466 से 383 तक
180.00		Rm				प्लॉट न 478 से 407 और 400 से 404
75.00		Rm				प्लॉट न 488 से 494 तक।
160.00		Rm				प्लॉट न 492 से 433 तक और 46 से मेन रोड तक
120.00		Rm				प्लॉट न 363 से 419 तक
100.00		Rm				प्लॉट न 361 से 413 तक
50.00		Rm				प्लॉट न 359 से 385 तक
80.00		Rm				प्लॉट न 334 से 383 तक
50.00		Rm				प्लॉट न 355 से 368 तक
90.00		Rm				प्लॉट न 338 से 542 तक
250.00	Rm				प्लॉट न 526 से 561 तक कालोनी प्लॉट नम्बर 253 तक	
150.00	Rm				प्लॉट न 325 से 268	
3405.00	Rm				सर्वमंगला मंदिर (नदी) पुल से सर्वमंगला चौकी तक सर्वमंगला मंदिर तक	
					सर्वमंगला नगर चौक से महरा किनारे शराब दुकान	
					किताब के घर से जमश्याम घर तक	

[Handwritten Signature]

MATE

DETAILS ESTIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 54,58,59 सर्वमंगला नगर,विकास नगर,ईमलीछापर कुसमुण्डा की सफाई व्यवस्था कार्य।।

No.	Particular of item	No Length	Breadth	Depth of Height	Content	Remarks
	B.F-	3405	Rm			
	सर्वमंगला नगर वार्ड क.	240.00	Rm			प्लॉट नं 251 से 267 तक
	/54 सड़क सफाई कार्य	110.00	Rm			प्लॉट नं 315 से 308 तक
		100.00	Rm			प्लॉट नं 289 से 585 तक
		90.00	Rm			प्लॉट नं 575 से 281 तक
		90.00	Rm			प्लॉट नं 268 से 274 तक
		80.00	Rm			प्लॉट नं 266 से 252 तक
		200.00	Rm			प्लॉट नं 253 से 82 तक
		170.00	Rm			मंदिर से प्लॉट नं 160 तक
		160.00	Rm			प्लॉट नं 172 से 182 तक
		120.00	Rm			प्लॉट नं 187 से काकरीट रोड से कालोनी चौक।
		120.00	Rm			सी जी पी कालोनी चौक के सामने प्लॉट
		120.00	Rm			प्लॉट नं 225 से 225 तक
		300.00	Rm			मंदिर के पीछे प्लॉट नं 242 तक।
		180.00	Rm			प्लॉट नं एस जी पी कालोनी
		180.00	Rm			प्लॉट नं 134 से 82 तक
		100.00	Rm			प्लॉट नं 128 से 82 तक
		100.00	Rm			प्लॉट नं 128 से
		135.00	Rm			53 तक
		80.00	Rm			प्लॉट नं 71 से 64 तक
		125.00	Rm			मंदिर से प्लॉट नं 19 से 82 तक
		80.00	Rm			प्लॉट नं 54 से पंचायत भवन से प्लॉट नं 126 तक।
		100.00	Rm			प्लॉट नं 110 से 127 तक
		90.00	Rm			प्लॉट नं 35 से 27 तक।
		70.00	Rm			प्लॉट नं 35 से 28 तक
		375.00	Rm			प्लॉट नं 17 से 8 तक
						प्लॉट नं 9 से प्रा शाला तक
						प्लॉट नं 06 से 1 तक
						सर्वमंगला मंदिर (नदी) पुल से सर्वमंगला चौकी से सर्वमंगला मंदिर तक



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)
 DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 54,58,59 सर्वमंगला नगर,विकास नगर,ईमलीछापर कुसमुण्डा की स
 व्यवस्था कार्य।

No.	Particular of item	No	Length	Breadth	Depth of Height	Content Rema
	वार्ड क्र. 58					
	ईमलीछापर कुसमुण्डा					
	सडक सफाई कार्य					
	मनोज अग्रवाल के घर से गर्ग पशु आहार केन्द्र तक।		204.00			
	चंद्रा होटल से बडा नाला तक		350.00			
	निर्मल अग्रवाल से नाला तक रेल्वे।		96.00			
	रसुल खान से लक्ष्मण नाला तक।		420.00			
	सिंह दुकान से रेल्वे लाइन तक।		96.00			
	कृष्णा चंद्रा रेल्वे लाइन तक।		96.00			
	समीर वर्मा से रेल्वे लाइन तक।		96.00			
	के.के.साहू मकर प्युस।		180.00			
	संतोष होटल से रेल्वे कॉलोनी तक।		720.00			
	बजरंग पारा से बास खटाल तक।		600.00			
	मदरसा से नाला तक।		300.00			
			180.00			
	काली मंदिर के बगल घोडापाट तक।		500.00			
	हयदेवनन्द के घर पास से बाबा नायक नाला।		200.00			
	वार्ड क्र. 59 विकास नगर					
	आई.बी.पी. से नदी तक।		588.00			
	आई.बी.पी. मोहल्ला से शैलेन्द्र के घर तक।		286.00			
	संजय कुर्रे के घर के पास।		107.00			
	स्वीपर मोहल्ला महाराज के घर से पुनीराम के घर तक।		128.00			
	गुप्ता के सामने रोड पवन दुकान तक।		110.00			
	विद्यानगर से मुक्ति धाम तक।		526.00			
	आंगन बाडी से आलुवाली के घर तक।		168.00			
	विकास नगर बाजार से ट्रान्सफार्मर तक से आगे।		388.00			
	शिव मंदिर चौक से बजरंग पारा मोहल्ला तक।		238.00			
	खम्हरिया बस्ती नीचे मोहल्ला से उपर मोहल्ला।		250.00			



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILS ESTIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 54,58,59 सर्वमंगला नगर,विकास नगर,ईमलीछापर कुसमुण्डा की सफाई व्यवस्था कार्य।


No.	Particular of item	No Length	Breadth	Depth of Height	Content	Remarks
2	सर्वमंगला नगर वार्ड क्र. 54 नाली सफाई कार्य:-	720.00	Rm			सर्वमंगला किराना स्टोर (शैलेन्द्र यादव) से मंगलू राम पटेल घर के सामने तक दोनों तरफ नाली।
		180.00	Rm			श्री अशोक पटेल से कविद्वारा के घर तक एव पार्षद एण्ड नाली तक
		90.00	Rm			हर पटेल के मकान से श्री छविलाल के घर तक एक तरफ नाली
		240.00	Rm			श्री दिनेश कुमकार से शिवमंदिर से वापस दिनेश कुमकार तक एक तरफ
		90.00	Rm			श्री हरि राम पटेल से सामने स्कूल से शिव जनरल स्टोर तक दोनों तरफ नाली
		270.00	Rm			श्री राम दुलार साहू से स उ मा वि से बालकराम पटेल तक एक तरफ
		180.00	Rm			श्री देवनाथ पटेल से घासीराम यादव तक एक तरफ
		60.00	Rm			श्री गोकुल पटेल के माधो जायसवाल तक
		30.00	Rm			सुमन भारतीय उच्च मा.वि से मेन रोड एक तरफ
		30.00	Rm			लक्ष्मण यादव के घर से ठाकुर के घर तक एक तरफ
		30.00	Rm			इन्द्रजीत के घर से कचन सिंह के घर तक एक तरफ
		150.00	Rm			सर्वमंगला किराना स्टोर्स से पुनी राम के घर तक एक तरफ
		300.00	Rm			कथारा बाई से अख्तर खान तक से पोस्ट ऑफिस तक एक तरफ
		840.00	Rm			सी पी जी कालोनी दोनों तरफ नाली शिव मंदिर से एस पी.जी कालोनी तक बड़ा नाला
		500.00	Rm			
		3710.00	Rm			

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILS ESTIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 54,58,59 सर्वमंगला नगर,विकास नगर,ईमलीछापर कुसमुण्डा की सफाई व्यवस्था कार्य।

No.	Particular of item	No Length	Breadth	Depth of Height	Content	Remarks
	सर्वमंगला नगर वार्ड क्र. 54 नाली सफाई कार्य:-	180.00	Rm			श्री देवनाथ पटेल से घासीराम यादव तक एक तरफ
		60.00	Rm			श्री गोकुल पटेल के माघो जायसवाल तक
		30.00	Rm			सुमन भारतीय उच्च.मा.वि.से मेन रोड एक तरफ
		30.00	Rm			लक्ष्मण यादव के घर से टाकुर के घर तक एक तरफ
		30.00	Rm			इन्द्रजीत के घर से कचन सिंह के घर तक एक तरफ
		150.00	Rm			सर्वमंगला किराना स्टोर्स से पुनी राम के घर तक एक तरफ
		300.00	Rm			कवारा बाई से अख्तर खान तक से पोस्ट ऑफिस तक एक तरफ
		840.00	Rm			सी.पी.जी. कालोनी दोनों तरफ नाली
		500.00	Rm			शिव मंदिर से एस.पी.जी. कालोनी तक बड़ा नाला
		210.00	R m			सर्वमंगला मंदिर (नदी)पुल से सर्वमंगला चौकी से सर्वमंगला मंदिर तक
		525.00	R m			सर्वमंगला नगर चौक से नहर किनारे शराब दुकान
		525.00	R m			किर्तन के घर से जनसाय घर तक सर्वमंगला नदी पुल से सर्वमंगला चौकी से सर्वमंगला मंदिर तक



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAIL STIMATE FORM

वार्ड क्रमांक 54,58,59 सर्वमंगला नगर,विकास नगर,ईमलीछापर कुसमुण्डा की स
व्यवस्था कार्य।

No.	Particular of item	No Length	Breadth	Depth of Height	Content	Rema
	वार्ड क्र. 58					
	ईमलीछापर कुसमुण्डा					
	नाली सफाई कार्य					
	चंद्रा होटल से बडा नाला तक	750	00			
	निर्मल अग्रवाल से नाला तक रेल्वे।	96	00			
	रसुल खान से लक्ष्मण नाला तक ।	104	00			
	सिंह दुकान से रेल्वे लाइन तक।	96	00			
	कृष्णा चंद्रा रेल्वे लाइन तक।	96	00			
	समीर वर्मा से रेल्वे लाइन तक।	96	00			
	के.के.साहू मकर प्युस।	180	00			
	संतोष होटल से रेल्वे कॉलोनी तक।	720	00			
	बजरंग पारा से बास खटाल तक।	600	00			
	मदरसा से नाला तक।	300	00			
		180	00			
	काली मंदिर के बगल घोडापाट तक।	500	00			
	हृयदेवनन्द के घर पास से बाबा नायक नाला।	200	00			
	वार्ड क्र 59 विकास नगर					
	आई.बी.पी. से नदी तक।	29	00			
		90	00			
	आई.बी.पी. मोहल्ला से शैलेन्द्र के घर तक।	25	00			
	संजय कुर्रे के घर के पास।	30	00			
	गुप्ता के सामने रोड पवन दुकान तक।	42	00			
	विद्यानगर से मुक्ति धाम तक।	537	00			
	आंगन बाडी से आलुवाली के घर तक।	74	00			
	शिव मंदिर चौक से बजरंग पारा मोहल्ला तक।	05	00			

